


# फरक अहकाम

न्यायालय सहायक कमिश्नर जयपुर साहू  
 बनेराम बनाम रामपाल  
 मुकदमा संख्या / वर्ष आ.सं. 09/2022 (सहायक कमिश्नर) जयपुर 01/2022

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------	---------------------------	----------------------	-------------

17/01/2022

पत्नीवती अधिवक्ताजी शिवरिंह चौधरी के द्वारा अपनी एन 09/2022 स्पष्टिण धारा 137 CR पेश करने पर पेशद्वारा वकील प्रकीने उपस्थित होकर निवेदन किया कि दिनांक 08/12/2021 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश की शर्त के तहत (गैरगैर) जयपुर में मुकदमा की प्रतीति का रद्द हो इस कारण इस कारण न्यायालय में जो उपस्थित हुए तथा जाहकारी करने पर न्यायालय पीठासीन अधिकारी के पास दिया गया। हमने न्यायालय का उल्लेख किया कि वकील प्रकीने की एक पक्षीय वकालत हुई है तथा दिनांक 08/12/2021 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश की शर्त के तहत आदेश रद्द हो जो उपस्थित हुए। ऐसे में वकील प्रकीने द्वारा अपना पत्र 15000 कोट पर न्यायालय में लैकार किया जाकर रद्द का आदेश न्यायालय रामपाल की पुत्र काद में किया जाकर ही वकील प्रकीने को काद में उपस्थित होने का आदेश रद्द कर दिया। न्यायालय को आदेश रद्द कर दिया।

  
**बारादीप करार (आ.ए.ए.ए.)**  
 सहायक कलक्टर  
 जयपुर शहर प्र.स.

